प्रकरण संख्या 78/2018 उदा बनाम मेघा व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.09.2019	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद घोशणा, विभाजन एवं स्थायी निशेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के पिता पुरा जी ने राजस्व ग्राम बाण्डीमगरी में स्थित साबिक आराजी नंबर 119, 125 व 126 कुल किता 3 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से 1/2 हक व हिस्से की भूमि अन्य सहखातेदार के क्रय की जिसका नामान्तरकरण भरा जाकर जमाबन्दी संवत् 2016–2019 की जमाबन्दी में दाखला लगा हुआ है। उक्त साबिक आराजी के नये नंबर 213 व 228 कुल किता 2 रकबा 2.0050 हैक्टर दर्ज किये गये, किन्तु सेटलमेन्ट की गलती से वादी के पिता का नाम हटा दिया गया इस कारण उनके हक हिस्से की भूमि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 स 10 के नाम दर्ज हो गयी, जबकि वादी पूरा का पुत्र होने से 1/12 हिस्सा अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी है। अतः विवादित भूमि का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर वादी को विवादित भूमि के 1/12 हिस्से का खातेदार का''तकार घोशित किया जावे तथा स्थायी निशेधाज्ञा भी दिलायी जावे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 24.01.2018 से वाी का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 06.08.2018 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से वकील श्री लोके''ा गहलोत उपस्थित हुए । रेस्पोन्डेन्ट संख्या 24 की ओर से राजकीय अभिभाशक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अपीलान्ट द्वारा दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण को उक्त आदे''ा की जानकारी दिनांक 23.07.2018 को हुई। जानकारी होते ही अपील प्रस्तुत कर दी है। ताईद में भापथ पत्र भी प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन का जवाब विपक्षी संख्या 23/2 द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विभाजन रिपोर्ट सभी पक्षकारों की उपस्थिति में तैयार को गयी है। मयाद का युक्ति–युक्ति कारण नहीं है। अपील अपील मयाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे। ताईद में भापथ पत्र भी	

प्रस्तुत किया।

हमने उक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस सुनकर मनन किया तो यह पाया कि पत्रावली में नियत पे"ाी दिनांक से पूर्व ही निर्णय पारित कर दिया गया है, जिसकी अपीलान्ट को सूचना होने की प्रथम दृश्टया कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृश्टिगत न्यायहित में दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की गयी।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में ही वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया तथा मुख्य रूप से यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 28.06.2016 को राजीनामा अनुसार दावा मंजूर किया, जिस पर प्रकरण बंटवाड़ा रिपोर्ट हेतु दिनांक 27.10.2016 को नियत किया गया। इसके बाद प्रकरण बंटवाड़ा रिपोर्ट के इंतजार में लम्बित रहा तत्प"चात अंतिम सुनवाई हेतु प्रकरण दिनांक 25.02.2018 को रखा गया, किन्तु इससे पूर्व ही प्रतिवादी मोहनसिंह के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 24.01.2018 को प्रकरण रखकर निर्णय कर दिया, जिसकी कोई जानकारी अपीलान्ट/वादी को नहीं दी गयी तथा उनकी अनुपस्थिति में निर्णय कर दिया गया, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाशक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार होना बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि पत्रावली में पे"ाी दिनांक 25.08.2018 की नियत थी, किन्तु प्रार्थी मोहनसिंह के आवेदन पर पत्रावली दिनांक 24.01.2018 को रखकर प्रकरण में निर्णय पारित कर दिया गया, जो प्रथम दृश्टया प्राकृतिक न्याय एवं विधि के विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 24.01.2018 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर विधि के आलोक में निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 22.11.2019 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 25.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

प्रकरण संख्या 78/2018 उदा बनाम मेघा व अन्य